फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

रामलाल बनाम सरकार

81/25 धारा

क्रमांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। तलबी कुरैजात हेतु दिनांक 23/7/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	कुरैजात प्राप्त 22/07/2025
23/7/25	~~पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। तलबी कुरैजात हेतु दिनांक 25/7/25 को पेश हो।~~ पुनः कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं वास्ते बहस कुरैजात हेतु दिनांक 25/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
25/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उपस्थित। अधिवक्ता उत्तरपक्ष की कुरैजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। उत्तरपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। अतः तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी जयपुर से प्राप्त कुरैजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	(हस्ताक्षर) KR Sharma adv (वादी/प्रार्थी अधिवक्ता) (हस्ताक्षर) (सुरेश शर्मा Adv. प्रतिवादी सं. 1 सरकार/अधिवक्ता)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 14:02:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 81/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 03.06.2025

रामलाल पुत्र स्व. श्री साधुराम, आयु लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।

.......वादी

बनाम

1. प्रभात पुत्र नन्दा, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
2. बोदू पुत्र धीरा, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
3. मंगला पुत्र धीसा, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
4. रुकमा देवी पत्नी श्री प्रभात, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
5. रामेश्वर पुत्र रामनारायण, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
6. शैतान पुत्र धीसा, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
7. गुण्डाराम पुत्र रामनारायण, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।

......प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

दिनांक 25.07.2025

(1) श्री के.आर. शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से
(1) श्री प्रवेश कुमार शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वाके ग्राम मोहनबाड़ी पटवार हलका जयसिंहपुरा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 57 जिसके हाल खसरा नम्बर 251/477 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल किता 8 कुल रकबा 3.2700 हैक्टेयर भूमि में वादी का हिस्सा 4/21 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज व अमल है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का हिस्सा जमाबंदी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 14:02:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर

व अगल है। वादपत्र की मद संख्या–1 में वर्णित कृषि भूमि को आगे चलकर सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त अराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादपत्र की मद संख्या–1 में वर्णित अराजियात में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 7 सहखातेदार काश्तकार है एवं पूर्व मनबट के आधार पर हुये विभाजन के आधार पर कब्जा काश्त रहकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 7 के मन में खोट आ जाने के कारण एवम् वादी को परेशान करने की गरज से वादी को एलानिया धमकी देते है कि वह उसकी सामलाती काश्त की भूमि का बेचान सोसायटी या अन्य व्यक्तियों को कर देगे, जो उक्त भूमि को छोटे–छोटे भूखण्डों में विभक्त कर कॉलोनी काट देंगे एवम् जबरिया रूप से वादी को कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देगे ऐसी अवस्था में विभाजन एवम् स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने वाद पत्र की मद संख्या –1 में वर्णित भूमि का बेचान का इरादा कर रखा है प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 7 दिनांक 12.05.2025 को वादपत्र की मद संख्या –1 में वर्णित भूमि की अजनबी व्यक्तियों को सीमायें बताने लगा तब वादी ने जानकारी की तो मालूम चला कि प्रतिवादी संख्या – 1 लगायत 7 उक्त वर्णित भूमि का बेचान करने पर आमादा है एवम् प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 7 ने वादी को ऐलानिया धमकी दी की मैं सामलाती भूमि को छोटे–छोटे भूखण्डों में विभक्त कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर देंगे। वाद कारण 12.05.2025 को जब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 7 वादपत्र की मद संख्या–1 में वर्णित अराजियात का बिना विधिवत् विभाजन करवाये अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू हो गया ऐसी अवस्था में दावा बाबत् विभाजन एवम् स्थायी निषेधाज्ञा लाना आवश्यक हुआ।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं कर वाद में प्राथमिक डिक्री पर बहस की उक्तानुसार वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके राजस्व ग्राम मोहनबाड़ी पटवार हलका जयरामपुरा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 251/117 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25[illegible] रकबा [illegible].4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 259 रकबा [illegible]00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल किता 8 कुल रकबा 3.2700 हैक्टेयर भूमि का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 14:02:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025 /2575 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को कुर्रेजात पर बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया। उभयपक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। अतः तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. रामलाल पुत्र साधूराम हिस्सा–पूर्ण जाति– जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 257 रकबा 0.47 हैक्टेयर, 268/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 258/2 रकबा 0.0528 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6228 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. प्रभात पुत्र नंदा हिस्सा 12/17 जाति– जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 18166/26472 (पूर्ण खाता) कॉर्पोरेशन बैंक शाखा रामपुराडाबड़ी, बोदू पुत्र घीसा हिस्सा–7/102 जाति– जाट सा. देह खातेदार मंगला पुत्र घीसा हिस्सा–7/102 जाति– जाट सा. देह खातेदार रूकमादेवी पुत्री प्रभात हिस्सा–1/51 जाति– जाट सा. देह खातेदार, रामेश्वर पुत्र रामनारायण हिस्सा–7/204 जाति– जाट सा. देह खातेदार, शैतान पुत्र घीसा हिस्सा–7/102 जाति– जाट सा. देह खातेदार सुण्डाराम पुत्र रामनारायण हिस्सा–7/204 जाति– जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 252 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 268/1 रकबा 0.1342 हैक्टेयर, 258/1 रकबा 0.1772 हैक्टेयर, 259 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 260 रकबा 0.54 हैक्टेयर, 261 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 251/477 रकबा 0.82 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.6472 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नवशा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 14:02:48 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 81/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 03.06.2025

रामलाल पुत्र स्व. श्री साधुराम, आयु लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।

.......वादी

बनाम

1. प्रभात पुत्र नन्दा, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
2. बोदू पुत्र धीरा, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
3. मंगला पुत्र धीसा, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
4. रूकमा देवी पत्नी श्री प्रभात, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
5. रामेश्वर पुत्र रामनारायण, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
6. शैतान पुत्र धीसा, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
7. सुण्डाराम पुत्र रामनारायण, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी ग्राम मोहनबाड़ी, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।

......प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. रामलाल पुत्र साधूराम हिस्सा–पूर्ण जाति– जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 257 रकबा 0.47 हैक्टेयर, 268/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 258/2 रकबा 0.0528 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6228 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. प्रभात पुत्र नंदा हिस्सा 12/17 जाति– जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 18166/26472 (पूर्ण खाता) कार्पोरेशन बैंक शाखा रामपुराडाबड़ी, बोदू पुत्र धीसा हिस्सा–7/102 जाति– जाट सा. देह खातेदार मंगला पुत्र धीसा हिस्सा–7/102 जाति– जाट सा. देह खातेदार रूकमादेवी पुत्री प्रभात हिस्सा–1/51 जाति– जाट सा. देह खातेदार, रामेश्वर पुत्र रामनारायण हिस्सा–7/204 जाति– जाट सा. देह खातेदार, शैतान पुत्र धीसा हिस्सा–7/102 जाति– जाट सा. देह खातेदार सुण्डाराम पुत्र रामनारायण हिस्सा–7/204 जाति– जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 252 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 268/1 रकबा 0.1342 हैक्टेयर, 258/1 रकबा 0.1772 हैक्टेयर, 259 रकबा 0.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 14:02:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

हैक्टेयर, 260 रकबा 0.54 हैक्टेयर, 261 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 251/477 रकबा 0.82 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.6472 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 25.07.2025 को जारी किया।

दस्तखत———
ओहदा———

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर)

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 14:02:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

उपरोक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गयेः-

जमाबंदी इन्द्राज				कुर्जात इन्द्राज			
क्र. स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा
1	प्रभात पुत्र नन्दा हिस्सा-4/7 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-5/9 (पूर्ण खाता) कॉर्पोरेशन बैंक शाखा रामपुराडाबड़ी बोदू पुत्र घीसा हिस्सा-1/18 जाति- जाट सा. देह खातेदार मंगला पुत्र घीसा हिस्सा-1/18 जाति- जाट सा. देह खातेदार रूकमादेवी पुत्री प्रभात हिस्सा-1/63 जाति- जाट सा. देह खातेदार रामलाल पुत्र साधूराम हिस्सा-4/21 जाति- जाट सा. देह खातेदार रामेश्वर पुत्र रामनारायण हिस्सा-1/36 जाति- जाट सा. देह खातेदार शैतान पुत्र घीसा हिस्सा-1/18 जाति- जाट सा. देह खातेदार सुण्डाराम पुत्र रामनारायण हिस्सा-1/36 जाति- जाट सा. देह खातेदार	251/477 252 257 258 259 260 261 268	0.82 0.35 0.47 0.23 0.24 0.54 0.37 0.25	1	रामलाल पुत्र साधूराम हिस्सा-पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार	257 262/2 258/2	0.47 0.10 0.0528
					योग	कि	[illegible]
				2	प्रभात पुत्र नन्दा हिस्सा-12/17 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-18166/26472 (पूर्ण खाता) कॉर्पोरेशन बैंक शाखा रामपुराडाबड़ी बोदू पुत्र घीसा हिस्सा-7/102 जाति- जाट सा. देह खातेदार मंगला पुत्र घीसा हिस्सा-7/102 जाति- जाट सा. देह खातेदार रूकमादेवी पुत्री प्रभात हिस्सा-1/51 जाति- जाट सा. देह खातेदार रामेश्वर पुत्र रामनारायण हिस्सा-7/204 जाति- जाट सा. देह खातेदार शैतान पुत्र घीसा हिस्सा-7/102 जाति- जाट सा. देह खातेदार सुण्डाराम पुत्र रामनारायण हिस्सा-7/204 जाति- जाट सा. देह खातेदार,	25[illegible] 26[illegible] 268/1 259 260 261 251/477	0.3[illegible] 0.1342 0.1772 0.24 0.54 0.3[illegible] 0.8[illegible]
		किता-8	3.27			किता -7	2.6472

रामलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 14:02:48 IST
Reason: SelfAttested

उत्तर
ग्राम - मोहनबाड़ी
तहसील - रामपुरा डाबडी
जिला - जयपुर
राजस्थान
द.
पैमाना 1 से.मी. = 40 मीटर

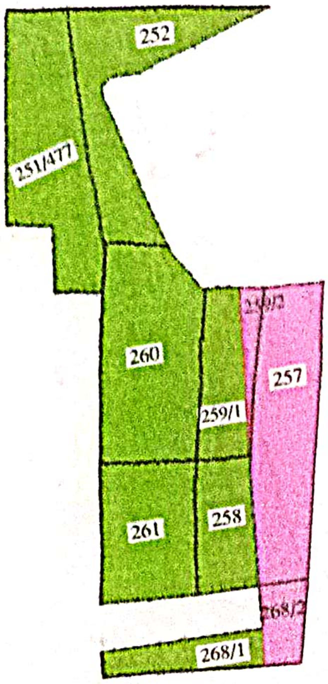

1. प्रभात पुत्र नन्दा, जोट्टू पुत्र घीसा, मंगला पुत्र घीसा, रुकमादेवी पुत्री प्रभात, रामेश्वर पुत्र नारायण, शैतान पुत्र घीसा, ... पुत्र नारायण

2. रामलाल पुत्र साधुराम

राम लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 14:02:48 IST
Reason: SelfAttested

03/7/25

3/7/25
तहसीलदार
जयपुर